**भारत सरकार**
**ग्रामीण विकास मंत्रालय**
**ग्रामीण विकास विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 377**
**(04 फरवरी, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

**भारत निर्माण योजना**

**377. डॉ. रमापति राम त्रिपाठीः**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में किए जा रहे कार्यों/चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में सड़कों का निर्माण किया गया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के विकास और आवासों के निर्माण के लिए आवंटित, जारी और खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**ग्रामीण विकास मंत्री**
**(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

(क) से (घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्तमान में भारत निर्माण योजना का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है। भारत निर्माण का पहला और दूसरा चरण क्रमशः वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक और 2009-10 से 2013-14 तक प्रचालन में था। संबंधित मंत्रालयों द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों अथवा राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास, आवासों के निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए सीधे निधियां जारी की जाती थीं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कोर नेटवर्क में सड़क संपर्क से न जुड़ी निर्धारित जनसंख्या आकार वाली मैदानी क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक और विशेष श्रेणी के राज्यों (अरूणाचल प्रदेश

प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड), मरूस्थलीय क्षेत्रों (जिला विकास कार्यक्रम द्वारा की गई पहचान के अनुसार) जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों और वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर गृह मंत्रालय/नीति आयोग द्वारा की गई पहचान के अनुसार चयनित जनजातीय और पिछड़े जिलों में 250 या इससे अधिक वाली पात्र बसावटों को एकल बारहमासी सड़कों से जोड़ते हुए ग्रामीण सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए एकबारगी विशेष उपाय है। वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित ब्लॉकों (गृह मंत्रालय द्वारा की गई पहचान के अनुसार) में 100 व्यक्तियों तथा इससे अधिक जनसंख्या (2001 की जनगणना) वाली बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए अतिरिक्त छूट दी गई है। इसके पश्चात, पीएमजीएसवाई-II के तहत ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए नई पहल/प्रयास किए गए हैं और वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित 44 जिले जो सुरक्षा और संचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, में आवश्यक पुलिया और नालियों की संरचनाओं के साथ बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करते हुए उन्हें योजना के दायरे में शामिल किया गया है।

उत्तर प्रदेश में पीएमएवाई-जी के तहत दिनांक 30.01.2020 तक 58,493.513 कि.मी. की सड़क लंबाई के 18,566 सड़क कार्य स्वीकृत किए गए थे जिसमें से दिनांक 30 जनवरी, 2020 तक 56,314.573 कि.मी. की सड़क लंबाई के 18,439 सड़क कार्य पूरे कर लिये गए हैं।

पीएमजीएसवाई के तहत विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार आवंटित, जारी की गई और उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के आंकड़ों के अनुसार आवास वंचन मानकों के आधार पर ग्रामीण परिवारों की पहचान लाभार्थियों के रूप में की जाती है। तदनुसार, एसईसीसी, 2011 के आंकड़ों के अनुसार बहिर्वेशन मानदंडों की शर्त पर बेघर और शून्य, एक या दो कमरों वाले कच्चे मकानों (दिवारें और छत्त दोनों कच्ची हों) में रहने वाले सभी परिवारों को पीएमएवाई-जी के तहत आवास के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। लाभार्थियों को मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रूपए और पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों में 1.30 लाख रूपए की सहायता प्रदान की जाती है। पीएमजीएसवाई के तहत विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार आवंटित, जारी की गई और उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

****

**अनुबंध-I**

**भारत निर्माण योजना के संबंध में लोक सभा में दिनांक 04.02.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्र.सं. 377 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत आवंटित/जारी की गई और उपयोग की गई निधियां (करोड़ रू.में)**

| क्र. सं. | राज्य | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 दिनांक 29.01.2020 तक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटित/ रिलीज | व्यय | आवंटित/ रिलीज | व्यय | आवंटित/ रिलीज | व्यय | आवंटित/ रिलीज | व्यय |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 197.59 | 238.68 | 40.00 | 136.25 | 200.00 | 257.43 | 243.14 | 247.16 |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश | 205.92 | 339.59 | 700.00 | 384.85 | 1350.00 | 1,005.98 | 324.08 | 675.72 |
| 3 | असम | 475.76 | 309.75 | 575.58 | 397.26 | 2506.58 | 2,413.64 | 2,029.92 | 2187.79 |
| 4 | बिहार | 2958.33 | 3,315.73 | 1349.32 | 1,586.37 | 60.58 | 1,874.77 | 0.00 | 969.37 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 449.80 | 432.92 | 338.96 | 722.41 | 664.39 | 1,512.94 | 1,114.07 | 850.34 |
| 6 | गोवा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | गुजरात | 31.04 | 52.30 | 0.00 | 52.35 | 0.00 | 32.72 | 0.00 | 11.45 |
| 8 | हरियाणा | 44.01 | 69.29 | 0.00 | 28.97 | 0.00 | 2.28 | 0.36 | 0.48 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 396.61 | 320.29 | 360.17 | 520.82 | 677.25 | 690.59 | 1,032.80 | 474.89 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 755.61 | 428.30 | 1400.00 | 949.36 | 581.46 | 1,082.70 | 342.50 | 1013.78 |
| 11 | झारखंड | 819.60 | 889.94 | 1087.89 | 1,257.00 | 757.33 | 1,211.46 | 0.87 | 900.02 |
| 12 | कर्नाटक | 331.95 | 342.88 | 5.00 | 50.46 | 0.56 | 15.85 | 0.00 | 1.08 |
| 13 | केरल | 179.45 | 267.43 | 169.13 | 206.09 | 100.77 | 225.16 | 41.98 | 97.19 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 1979.48 | 1,653.45 | 1075.08 | 1,902.02 | 913.30 | 2,533.07 | 1,119.26 | 1327.08 |
| 15 | महाराष्ट्र | 606.00 | 681.47 | 270.59 | 407.20 | 6.75 | 204.20 | 0.00 | 126.62 |
| 16 | मणिपुर | 412.19 | 251.68 | 219.00 | 264.25 | 293.63 | 286.06 | 263.85 | 302.55 |
| 17 | मेघालय | 211.98 | 179.58 | 45.68 | 113.55 | 196.42 | 158.99 | 195.50 | 153.53 |
| 18 | मिजोरम | 93.36 | 78.24 | 200.00 | 72.71 | 51.32 | 138.48 | 576.06 | 188 |
| 19 | नागालैंड | 8.05 | 21.86 | 8.80 | 18.04 | 149.63 | 71.66 | 0.00 | 63.71 |
| 20 | ओड़िशा | 1925.67 | 1,907.57 | 2038.19 | 2,679.95 | 2461.50 | 3,289.38 | 573.19 | 1562.44 |
| 21 | पंजाब | 275.66 | 238.11 | 318.73 | 334.66 | 0.00 | 227.64 | 0.00 | 26.71 |
| 22 | राजस्थान | 559.41 | 792.42 | 889.89 | 536.53 | 0.00 | 857.63 | 0.00 | 262.77 |
| 23 | सिक्किम | 138.16 | 96.59 | 337.00 | 205.55 | 199.40 | 222.55 | 4.39 | 119 |
| 24 | तमिलनाडु | 309.58 | 356.96 | 591.07 | 528.54 | 589.00 | 880.98 | 268.39 | 677.45 |
| 25 | तेलंगाना | 146.03 | 188.94 | 99.22 | 132.66 | 99.64 | 321.02 | 184.21 | 190.54 |
| 26 | त्रिपुरा | 392.27 | 129.54 | 135.38 | 135.92 | 73.31 | 129.22 | 0.98 | 56.92 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 1234.87 | 1,003.29 | 866.81 | 1,822.20 | 253.54 | 959.98 | 0.00 | 237.55 |
| 28 | उत्तराखंड | 550.20 | 450.97 | 686.31 | 608.36 | 988.23 | 698.43 | 554.90 | 594.91 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 819.18 | 1,055.28 | 1000.00 | 1,253.13 | 1386.44 | 2,058.28 | 237.83 | 1028.8 |
| **कुल:** | | **16507.75** | **16,093.05** | **14807.80** | **17,307.46** | **14561.03** | **23,363.09** | **9,108.26** | **14,347.85** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | अनुबंध-II |
| **भारत निर्माण योजना के संबंध में लोक सभा में दिनांक 04.02.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्र.सं. 377 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण** | | | | | | | | | |
| **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वित्तीय प्रगति** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **(रूपए लाख में)** | |
| **क्र. सं.** | **राज्य** | **2016-17** | | **2017-18** | | **2018-19** | | **2019-20** | |
| | | **केंद्रीय रिलीज** | **उपयोग** | **केंद्रीय रिलीज** | **उपयोग** | **केंद्रीय रिलीज** | **उपयोग** | **केंद्रीय रिलीज** | **उपयोग** |
| 1 | अरूणाचल प्रदेश | 4285.59 | 0 | 1210.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | असम | 132197.9 | 64360.31 | 166961.67 | 164213.25 | 24408.4 | 116399.33 | 107468.014 | 157083.518 |
| 3 | बिहार | 211442.06 | 62255.05 | 60257.06 | 389526.19 | 444932.12 | 586797.49 | 197965.86 | 598276.569 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 83815.91 | 79489.26 | 285917.47 | 421901.83 | 263695.44 | 388097.81 | 56254.5 | 97736.677 |
| | गोवा | 284.79 | 353.4 | 0 | 36.95 | 0 | 63.3 | 0 | 63.3 |
| 6 | गुजरात | 36527.22 | 10354.16 | 53264.22 | 124419.15 | 68219.85 | 83360.86 | 0 | 61300.4 |
| 7 | हरियाणा | 7414.46 | 8632.26 | 2153.84 | 17782.16 | 2839.56 | 4626.45 | 0 | 5176.23 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 3253.82 | 2450.35 | 5102.88 | 4029.93 | 1468.94 | 3488.44 | 0 | 913.64 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | 8033.01 | 2.25 | 4982.11 | 9571.5 | 22683.11 | 18614.3 | 0 | 11412.3 |
| 10 | झारखंड | 79630.14 | 42894.06 | 162629.86 | 315882.96 | 173352.48 | 275969.81 | 157007.855 | 289078.11 |
| 11 | केरल | 10049.44 | 16620.43 | 2140.78 | 13532.09 | 0 | 5127.6 | 0 | 966.48 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 146774.16 | 198105.06 | 499255.99 | 795711.81 | 425042.65 | 730916.75 | 229197.575 | 363283.441 |
| 13 | महाराष्ट्र | 73566.02 | 97708.26 | 110207.77 | 229724.11 | 113552.93 | 204611.51 | 27181.757 | 131521.295 |
| 14 | मणिपुर | 5767.41 | 1347.45 | 5855.3 | 7113.65 | 0 | 4996.76 | 371.37 | 1092.22 |
| 15 | मेघालय | 8078.23 | 1221.64 | 4273.76 | 11647.99 | 12621.33 | 10845.34 | 0 | 5114.045 |
| 16 | मिजोरम | 2389.25 | 518.25 | 644.25 | 2646.51 | 2923.83 | 793.95 | 0 | 1730.56 |
| 17 | नागालैंड | 4676.22 | 0 | 832.99 | 16.9 | 0 | 3902.6 | 0 | 1524.9 |
| 18 | ओड़िशा | 131452.42 | 72912.97 | 312405.9 | 585156.06 | 329032.43 | 458570.23 | 150010.68 | 427617.4 |
| 19 | पंजाब | 7559.1 | 377.09 | 1602.06 | 3475.24 | 0 | 12886.85 | 0 | 886.056 |
| 20 | राजस्थान | 87153.1 | 73387.62 | 189566.23 | 431997.29 | 234013.32 | 318661.32 | 131040 | 219350.066 |
| 21 | सिक्किम | 1190.61 | 201.65 | 15 | 1058.85 | 0 | 576.05 | 65.033 | 34.05 |
| 22 | तमिलनाडु | 69059.77 | 23195.05 | 84848.58 | 113191.93 | 50279.81 | 141495.62 | 59533.83 | 73782.52 |
| 23 | त्रिपुरा | 13470.45 | 3482.01 | 18316.45 | 25118.73 | 765.98 | 9888.51 | 17157.024 | 11772.223 |
| 24 | उत्तर प्रदेश | 245959.01 | 133461.05 | 494806.43 | 1026867.9 | 277585.81 | 477784.95 | 58428.009 | 198716.163 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | | | | |
| 25 | उत्तराखंड | 7484.09 | 4996.55 | 1381.4 | 8162.31 | 9598.3 | 6060.01 | 0 | 556.239 |
| 26 | पश्चिम बंगाल | 139363.74 | 173128.46 | 455666.02 | 797223.44 | 437284.79 | 776380.99 | 298800 | 550064.507 |
| 27 | अंडमान और निकोबार | 196.37 | 0 | 33.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 28 | दादार और नगर हवेली | 245.08 | 0 | 330.88 | 55.2 | 946.98 | 906.4 | 0 | 1246.4 |
| 29 | दमन और दीव | 49.88 | 0 | 8.74 | 10.4 | 0 | 5.2 | 0 | 0 |
| 30 | लक्षद्वीप | 70.92 | 0 | 70.92 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 34.8 |
| 31 | पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | आंध्र प्रदेश | 21712.78 | 16706.83 | 35207.89 | 26454.13 | 18605.43 | 26455.2 | 0 | 0 |
| 33 | कर्नाटक | 27863.99 | 804.18 | 59304.62 | 53789.28 | 18822.48 | 59746.93 | 30960 | 0 |
| 34 | तेलंगाना | 14263.33 | 0 | 4815.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **कुल** | **1585280.27** | **1088965.65** | **3024070.64** | **5580317.75** | **2932675.97** | **4728053.96** | **1521441.5** | **3210383** |

**उपयोग के आंकड़ों की जानकारी कुल उपलब्ध निधियों की तुलना में है जिसमें केंद्रीय अंश, राज्य का अंश, विभिन्न प्राप्तियां और अर्जित ब्याज शामिल है।**